अध्याय III

आयातों पर एंटी डंपिंग शुल्क (एडीडी) के उद्ग्रहण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना:

3.1.1 जब किसी देश के निर्यातक या उत्पादक द्वारा किसी वस्तु को इसके सामान्य मूल्य से कम पर भारत में निर्यात किया जाता है तब भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर केंद्र सरकार सीमा शुल्क टैरिफ (डम्प की गई वस्तुओं और क्षति के अवधारण पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 1995 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अधिकार द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क लगा सकती है जो इसकी निर्यात कीमत और इसके सामान्य मूल्य के बीच अंतर से अधिक न हो। व्यापार के सामान्य क्रम में सामान्य मूल्य का तात्पर्य समान वस्तुओं हेतु तुलनात्मक कीमत से है जब इसका उपभोग निर्यातक देश में किया जाता है जैसाकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की उपर्युक्त धारा 9ए की उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित है। इन दो कीमतों के अंतर को "डंपिंग का मार्जिन" भी कहा जाता है।

3.1.2 सामान्यत: अधिसूचना पांच वर्षों की अवधि हेतु प्रभावी होती है (जब तक रद्द,हटाई या संशोधित न की जाए)।

3.1.3 भारत में एंटी डंपिंग उपायों को वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में कार्यशील महानिदेशालय, व्यापार उपाय (डीजीटीआर), (पूर्व में महानिदेशालय,एंटी डंपिंग और संबंधित शुल्क) द्वारा शासित किया जाता है और उक्त की अध्यक्षता "नामित प्राधिकारी", इस मामलें में महानिदेशक द्वारा की जाती है। नामित प्राधिकारी का कार्य एंटी डंपिंग शुल्क जांच करना और एंटी-डंपिंग उपायों हेतु सरकार को सिफारिश करना है। इस प्रकार के शुल्क अंतत: वित मंत्रालय,राजस्व विभाग की अधिसूचना के द्वारा ही लगाए/उद्ग्रहीत किए जाते है। इस प्रकार, वाणिज्य विभाग एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) की सिफारिश करता है जबकि वित्त मंत्रालय ऐसे शुल्क उद्ग्रहीत करता है।

3.1.4 तद्नुसार, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथावत जांच के बाद,नामित प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों के आधार पर एडीडी

लगाया जाता है। भारत में, 1992-2017[8] के दौरान 377 उत्पादों की एडीडी जांच की गई।

3.1.5 दूसरी तरफ, चीन, यूरोपियन संघ जैसे देशों द्वारा लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क से भारत प्रभावित हुआ और 1995-2017 के दौरान 130 उत्पाद एंटी डंपिंग उद्ग्रहणों के अधीन है। वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान आयातों पर ₹3169 करोड़[9] का एडीडी संग्रहीत किया गया था।

3.2 2015-16 से 2017-18 के दौरान एडीडी अधिसूचनाओं के तहत शामिल प्रमुख उत्पाद श्रेणियां

3.2.1 31 मार्च 2018 तक 484 एंटी-डंपिंग अधिसूचनाएं लागू थी जिसमें 205 उत्पादों को शामिल किया गया था। इन उत्पादों को मुख्यत: निम्नलिखित उत्पाद श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता था;

तालिका 3.1: उत्पाद समूहवार एंटी डंपिंग अधिसूचना

उत्पाद समुह	जारी अधिसूचना की संख्या	शामिल वस्तुओं की संख्या
अकार्बनिक रसायन	214	88
प्लास्टिक, रबड़ और इसके उत्पाद	63	22
कपड़ा और कपडे से बनी वस्तुए	48	16
यांत्रिक उपकरण और इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपस्कर	48	20
लौह स्टील, एल्युमिनियम और उससे बनी वस्तुए	32	17
पत्थरों से बनी वस्तुए, सिरेमिक उत्पाद, कांच और कांच के बर्तन	26	11
फार्मास्यूटिकलस, उर्वरक और विविध रसायन उत्पाद	14	11
अन्य[10]	39	18
कुल	484	205

3.2.2 कुछ वस्तुएं जिनका आयात एडीडी लगाने के बावजूद तीन वर्ष की अवधि में बढ़ा है, कार्बन ब्लैक,सोडा ऐश, एसीटोन, पीवीसी रोल और चिपकने

[8]पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडी, सीसीआई) सर्वेक्षण "भारत में उद्योग पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव" विषय पर आयोजित किया।

[9]स्रोत: वित्त लेखें

[10]खनिज उत्पाद, बिटुमिन सपदार्थ, वाहन और उसके सामान, ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, मापन उपकरण, लकड़ी और लकड़ी की बनी वस्तुए, कागज और पेपर बोर्ड और उसकी वस्तुए, खाद्य उद्योग, फशस्किन और कृत्रिम फर, जूते और इस तरह की वस्तुए; ऐसी वस्तुओं के भाग और प्रोजेक्ट आयात

वाली फिल्म, विस्कोस फिलामेंट यार्न, कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील उत्पाद और इजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी सहित प्लास्टिक मशीनरी है **(अनुलग्नक-2)**।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सीमा शुल्क में एंटी-डंपिंग शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा एडीडी अधिसूचनाओं के दुरूपयोग के प्रति सुरक्षा हेतु एंटी डंपिंग शुल्क एवं आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र सहित एंटी डंपिंग अधिसूचनाओं, अधिनियम नियमावली, विनियमों के अंतर्गत एंटी डंपिंग अधिसूचनाओं संबंधित प्रावधानों की शर्तों की विभाग द्वारा अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए की गई थी।

3.4 लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली

3.4.1 वि.व 2017 के दौरान 12 अध्यायों[11] के अंतर्गत किए गए आयात कुल आयातों का 26.87 प्रतिशत है जिन पर एडीडी उद्ग्रहीत किया गया था। 12 अध्याय के अंतर्गत एडीडी लगाई गई प्रमुख वस्तुओं के आयात की सांख्यिकी दर्शाती है कि इन वस्तुओं के कुल आयातों में वि.व 16 से वि.व 18 तक तीन वर्षों के दौरान ₹ 19.68 लाख करोड़ से ₹ 22.61 लाख करोड़, अर्थात 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क टैरिफ के इन 12 अध्यायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो एडीडी का मुख्य हिस्सा है।

लेखापरीक्षा में सीबीआईसी से उन आयातों के समस्त भारत के संव्यवहार डेटा मांगे गए थे जिन पर 2015-16 से 2017-18 तक तीन वर्षों हेतु एडीडी उद्ग्रहीत किया गया था हालांकि, सीबीआईसी द्वारा काफी विलंब के बाद डेटा उपलब्ध कराया गया था।

---

[11]अध्याय28- अकार्बनिक रसायन, 29 (ऑर्गेनिक केमिकल्स), 38 (विविध रासायनिक उत्पाद), 39 (प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं), 44 (लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं, लकड़ी चारकोल), 54 (मानव निर्मित फिलामेंट और वस्त्र सामग्री), 69 (सिरेमिक उत्पाद), 70 (ग्लास और ग्लास वेयर), 72 (आयरन और स्टील-प्राथमिक सामग्री उत्पाद), 73 (आयरन या स्टील की वस्तुएं), 84 (मशीनरी और यांत्रिक उपकरण) और 87 (वाहन और उसके सामान)।

डेटा के अभाव में, लेखापरीक्षा 67 कमिश्नरियों में से 18 में सीमित रही जिनका उपर्युक्त 12 अध्यायों के अंतर्गत वस्तुओं का सबसे अधिक आयात था **(अनुलग्नक-3)।**

3.4.2 प्रविष्टि बिलों के नमूना चयन हेतु यादृच्छ नमूना पद्धति का उपयोग किया गया था जिसे निर्धारणीय मूल्य के आधार पर तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार, ₹ 5 करोड़, ₹ 1 से ₹ 5 करोड़ और ₹ 5 करोड़ से कम की निर्धारणीय मूल्य के प्रविष्टि बिलों का चयन प्रत्येक स्तर की प्रतिशतता के रूप में किया गया था। कुल प्रविष्टि बिल, जिन पर लेखापरीक्षा हेतु चयनित 12 अध्यायों के अंतर्गत एडीडी लगाया गया था, 2015-16 से 2017-18 के दौरान 6,44,828 थे। इनमें से 1,82,431 (29 प्रतिशत) बीई का चयन नमूना के रूप में किया गया था।

3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.5.1 एडीडी उद्ग्रहण में प्रणाली आधारित निर्धारणों में कमी

सीमा शुल्क और किसी अन्य उद्ग्रहणों और अधिप्रभारों का भुगतान स्व-घोषणा के आधार पर किया जाता है। आयातक द्वारा आयातित माल के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने के बाद भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली या आईसीईएस द्वारा परेषणों का निर्धारण किया जाता है। आईसीईएस में उन संव्यवहारों की पहचान के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का उपयोग किया जाता है जिन्हें निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त संवीक्षा की आवश्यकता होती है। आईसीईएस में व्यवसाय नियमावली को हर बार अद्यतित करने की अपेक्षा है ताकि लागू शुल्क और उद्ग्रहणों को प्रणाली में बीई दर्ज करते ही स्वत: प्रभारित किया जा सके।

3.5.1.1 निम्नलिखित सैक्शन में प्रतिवेदित गैर/कम उद्ग्रहण के कई नमूना जांच किए गए मामलों में लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रविष्टि बिल आईसीईएस में आरएमएस आधारित समाशोधन के विषयाधीन थे। यह देखा गया कि एडीडी की विशेष शर्तों का पता लगाने में आरएमएस सक्षम नहीं था विशेषत: यदि उत्पाद का नाम या विवरण अधिसूचना से भिन्न हो या यदि

एडीडी का उद्ग्रहण मोटाई या भार जैसी उत्पाद विशेषताओं पर निर्भर करता हो।

3.5.1.2 हमने यह भी देखा कि भारतीय सीमा शुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में उत्पादक/ विनिर्माता का नाम दर्ज करना अनिवार्य नहीं किया गया था। उद्गम देश के अलावा उत्पादक/विनिर्माता और आपूर्तिकर्ता/निर्यातक का नाम विशेष वस्तुओं के आयात पर लागू एडीडी की दरे निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि विनिर्माता/निर्यातक या इसके संयोजन से विभिन्न दरें निर्धारित की जाती है। हालांकि,दर्ज की गई अधिकतर बीई को आईसीईएस में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से गुजारा गया था,लेखापरीक्षा में देखा गया था कि आईसीईएस से उत्पादक/विनिर्माता के नाम के फील्ड को भरना अनिवार्य करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

कोडला कमिश्नरी में यह देखा गया कि कोरिया और सिंगापुर से उद्भूत और निर्यातित फिनोल[12] के आयात के 53 मामलों में एडीडी से छूट का दावा किया गया था यद्यपि, ये वस्तुएं एडीडी के अंतर्गत आती है जब इन्हे कोरिया और सिंगापुर से आयात किया गया हो। आयातक द्वारा प्रणाली में दर्ज किए गए आयात दस्तावेजों में 'विनिर्माता' के स्थान को रिक्त छोडा गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में न तो प्रणाली में निर्धारण अधिकारियों की कोई टिप्पणियां मिल सकी और न ही संबंधित फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण इन आयातों हेतु ₹ 91.28 लाख की एडीडी छूट की स्वीकार्यता की सटीकता सुनिश्चत नहीं की जा सकी।

इस विषय को मार्च 2019 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

---

[12]उद्गम देशो/निर्यात, निर्यातक/उत्पादक के विभिन्न संयोजनों के साथ फिनोल का आयात (सीटीएच 29071110) जिस पर निर्धारित दरों पर एडीडी लगता है (अधिसूचना सं. 6/2016 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 8 मार्च 2016)

3.5.2 एडीडी अधिसूचना की वैधता की समाप्ति के बावजूद एडीडी का उद्ग्रहण

सीबीआईसी द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन के विन्यसन की तिथि से एडीडी उद्ग्रहणीय है और अधिकतम पांच वर्षों की अवधि हेतु प्रभावी है जब तक इसे रद्द, समाप्त या संशोधित न किया जाए।

3.5.2.1 सीटीएच 29291020 के अंतर्गत वर्गीकरणीय डाई-आईसोसाइनेट के आयात पर अधिसूचना सं. 25/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जून 2017 के अंतर्गत एडीडी उद्ग्रहणीय है। यह अधिूसचना केवल छः माह अर्थात 4 दिसंबर 2017 तक वैध थी। इसी प्रकार, फॉस्फोरिक एसिड, विस्टामैक्सक्स 6202 प्रोपलीन, ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलेन/विट्रीफाइड टाइलों आदि के आयात पर अधिसूचना 19/2012 दिनांक 4 अप्रैल 2012, 119/2010 दिनांक 19 नवंबर 2010 और 12/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 मार्च 2016 के अंतर्गत क्रमश: पांच वर्षो और छ: माह की वैधता के साथ एडीडी उद्ग्रहणीय है।

चार कमिश्नरियों[13] में लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने निर्धारित अधिसूचनाओं की समाप्ति के बाद डी-आईसोसाइनेट, फोस्फोरिक एसिड, विस्टामेक्स फिनोल और ग्लैज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलेन/विट्रीफाइड टाइल्स के आयात के 72 मामलों में ₹ 1.17 करोड़ के एडीडी की वसूली की थी। तद्नुसार,किसी मौजूदा अधिसूचना के बिना एडीडी की वसूली अनियमित थी **(अनुलग्नक-4)।**

इस विषय को मार्च 2019 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

3.5.3 एडीडी अधिसूचनाओं की शर्तों का अननुपालन

एडीडी का उद्ग्रहण विशेष वस्तुओं पर किया जाता है और यह स्त्रोत विशेष है। एडीडी की अधिसूचना में एडीडी के उद्ग्रहण की शर्तों का प्रावधान किया जाता है जो मुख्यत: उद्गम देश/निर्यात का देश, विनिर्माता का नाम, नियार्तित वस्तु का वर्गीकरण और आयातित माल की प्रकृति है। उन आयातों पर एडीडी उद्ग्रहणीय है जो अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट इन कुछ शर्तों में से सभी को पूरा करते हो।

[13] जेएनसीएच, कांडला, कोलकाता और मुंद्रा

3.5.3.1 लेखापरीक्षा में पाया गया कि एडीडी अधिसूचना के प्रावधानों के गलत अनुप्रयोग के कारण 2015-16 से 2017-18 के दौरान 15 कमिश्नरियों के माध्यम से आयात के 1205 मामलों **(अनुलग्नक-5)** में ₹ 63.60 करोड़ के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं/कम हुआ था। वह वस्तुए, जो शुल्क से बच गई, जैसेकि संव्यवहारों की नमूना जांच से पता चला, प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद, कपडा और नायलोन यार्न, रसायन, धातु और चीनी मिट्टी की वस्तुए तथा कांच के बने बर्तन जैसी उत्पाद श्रेणियों के तहत आती हैं।

3.5.4 उद्गम देश की शर्तों के उल्लंघन में एडीडी का अनुद्ग्रहण

एंटी डंपिंग का उद्ग्रहण निर्यातक विशिष्ट और देश विशिष्ट दोनों हैं। यह उन देशों से आयातों तक विस्तारित होता है जिसके, संबंध में नामित प्राधिकरण की सिफारिशों पर सीमा शुल्क द्वारा शुल्क अधिसूचित किया गया है।

संव्यवहारों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में उन देशों से आयातों पर एडीडी के अनुद्ग्रहण के कुछ मामले देखे गए जिनके संबंध में एडीडी उद्ग्रहणीय थी। कुछ मामलों पर चर्चा नीचे दी गई है:

(i) मशीनरी और यांत्रिक उपकरण

चीन, चीनी ताइपे, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम से उद्भूत या आयातित सीटीएच 84771000 के तहत आने वाले 40 टन से कम नहीं और 3200 टन के बराबर या कम की क्लैंपिंग फॉर्स वाली सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों या इंजेक्शन मॉल्डिंग मशीनों, जिन्हें इन्जेक्शन प्रैस भी कहा जाता है, पर उतराई मूल्य[14] के 29 प्रतिशत के बराबर एडीडी लगाया जाता है।

पांच कमिश्नरियों[15] में, चीन ताइवान और वियतनाम से आयातित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के 24 परेषणों की निकासी सीटीएच 84771000 के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत करने के बावजूद ₹ 2.95 करोड़ का एडीडी लगाए बिना की गई थी जो उपर्युक्त अधिसूचनाओं का उल्लंघन है।

---

[14]{अधिसूचना संख्या 57/2015 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 4 दिसंबर 2015 और अधिसूचना संख्या 9/ (एडीडी) सीमा शुल्क दिनांक 15 मार्च 2016}.

[15]चेन्नई समुद्र, जेएनसीएच, तूतीकोरिन समुद्र, आईसीडी बेंगलुरु और आईसीडी पटपड़गंज

इस विषय को जनवरी/अगस्त 2018 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(ii) कपड़ा, वस्त्र और धागा

(क) **चीन, ताइवान, मलेशिया, थाइलैंड, कोरिया आरपी और इंडोनेशिया** में उद्भूत किसी उत्पादक द्वारा उत्पादित या निर्यातित और भारत में आयातित नाइलॉन फिलामेंट धागे पर उत्पादक और निर्यातक के संयोजन के आधार पर यूएसडी 0.20 से 1.51 प्रति कि.ग्रा. के बीच की दर पर एडीडी[16] उद्ग्रहणीय हैं।

चेन्नई सी कमिश्नरी और आईसीडी पटपड़गंज के माध्यम से **चीन, कोरिया आरपी और इंडोनेशिया** से आयातित (जुलाई 2015 से जनवरी 2018) नाइलॉन फिलामेंट धागा की तेईस परेषणों की निकासी अध्याय शीर्षक 54 के तहत सही रूप से वर्गीकृत करने के बावजूद ₹ 1.33 करोड़ के प्रयोज्य एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इस विषय को जून 2018 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(ख) किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा चीन से उद्भूत या निर्यातित सीटीएच 50020010 के तहत आने वाले किसी विनिर्देश के साथ शहतूत का कच्चा सिल्क ग्रेड 3ए ग्रेड और इससे कम पर यूएस डॉलर 1.85 प्रति कि.ग्रा की दर पर एडीडी[17] लगाया जाएगा।

चेन्नई समुद्र कमिश्नरी में **चीन** से आयातित शहतूत का कच्चा सिल्क ग्रेड 3 के 5 परेषणों की निकासी ₹ 13.67 लाख के लागू एडीडी, के उद्ग्रहण के बिना की गई थी, हालांकि उसी पोर्ट के माध्यम से समान आयातों पर एडीडी लगाया जाता है।

इस विषय को मार्च 2017 में विभाग के संज्ञान में लाया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है। (अक्टूबर 2019)।

---

[16]अधिसूचना सं. 3/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 जनवरी 2012, अधिसूचना संख्या 4/2017 दिनांक 19 जनवरी 2017 द्वारा संशोधित

[17]अधिसूचना सं. 01/ 2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 28-01-2016 (क्रम. नं.1)।

(iii) धातु और धातु की वस्तुएं

चीन से 'एल्युमिनियम फॉयल' के आयात पर यूएसडी 1.63 प्रति कि.ग्रा. की दर पर एडीडी उद्ग्रहणीय है यदि उत्पादक और निर्यातक का संयोजन उनके अलावा 'कोई' अन्य है जो दिनांक मई 2017 की अधिसूचना[18] के अंतर्गत निर्धारित है।

चीन से एल्युमिनियम फॉयल के आठ परेषणों का आयात आईसीडी-तुगलकाबाद और जेएनसीएच, मुंबई कमिश्नरी के माध्यम से किया गया था। आयातित माल को एडीडी लगाए बिना आरएमएस के माध्यम से निकासी की सुविधा दी गई थी। अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इस विषय में बताए जाने पर आईसीडी, तुगलकाबाद प्राधिकरण ने तीन आयातकों से ₹ 75.11 लाख के पूरे अनुद्ग्रहण की वसूली की सूचना दी। जेएनसीएच, मुंबई का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(iv) रसायन और रासायनिक उत्पाद

(क) सीटीएच 29051620 के अंतर्गत आने वाले 2 इथिल हेक्सानॉल (2ईएच) पर यूएसडी 113.47 प्रति एमटी के निर्धारित दर पर एडीडी[19] लगाया जाता है, जहां आयातित माल का उद्गम देश यूरोपीय संघ है।

रोमानिया से आयातित 30 एमटी 2 ईएच की निकासी कांडला कमिश्नरी से सीमा शुल्क के उद्ग्रहण के बिना की गई यद्यपि रोमानिया यूरोपीय संघ का सदस्य है। आयातित माल की निकासी ₹ 23.10 लाख के एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर विभाग ने ₹ 23.10 लाख की वसूली की सूचना दी।

(ख) **यूएसए** में उद्भूत या निर्यातित सीटीएच 29071110 के अंतर्गत वर्गीकृत फिनोल के आयातों पर यूएसडी 159.63 प्रति एमटी की निर्धारित दर पर एडीडी[20] लगाया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम 2005 की धारा

---

[18]संख्या 23/2017-सीमा शुल्क। (एडीडी) दिनांक 16 मई 2017

[19]अधिसूचना सं0 10/सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 मार्च 2016

[20]अधिसूचना सं0 43/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 30 सितंबर 2014

30 के अनुसार सेज से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में ले जाए गए किसी माल पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत सीमा शुल्क प्रभारित होगा जिसमें एंटी डंटिंग, प्रतिकारी और सुरक्षा शुल्क शामिल होंगे जैसे आयात के समय ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय होते है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (केएएसइजेड) के अंतर्गत एक सेज इकाई ने एडीडी के भुगतान के बिना डीटीए में 168 एमटी फिनोल की निकासी की थी। (अक्टूबर 2016)। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि डीटीए में निकासी किया गया फिनॉल यूएसए से आयात किया गया था जिस पर एंटी डंपिंग शुल्क लगना था। इस प्रकार, डीटीए निकासियों पर उपर्युक्त अधिसूचना की शर्तों में एडीडी का उद्ग्रहण अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.13 लाख तक एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (जून 2017), विभाग ने ₹18.13 लाख की वसूली की सूचना दी (जून 2017)।

(v) अन्य

(क) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड

चीन से उद्भूत या निर्यातित सीटीएच 8545 के अंतर्गत आने वाले सभी व्यास के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के आयात पर यूएसडी 922.03 प्रति एमटी की दर पर एडीडी[21]उद्ग्रहणीय है।

जेएनसीएच, मुंबई और विशाखापटनम कमिश्नरी में चीनी पीआर से आयातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के चार परेषणों की निकासी ₹ 66.07 लाख के एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

(ख) मापन टेप (स्टील टेप)

मलेशिया से उद्भूत या निर्यातित सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 90178090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय 'मापन टेप' के आयात पर यूएसडी 2.60 प्रति कि.ग्रा. की निर्धारित दर पर एडीडी[22] उदग्रहणीय है।

---

[21]अधिसूचना सं0 04/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) क्रम. नं 14,दिनांक 13 फरवरी 2015,

[22]अधिसूचना सं0 16/2016-एडीडी दिनांक 02.05.2016

चेन्नई समुद्र, सीमा शुल्क के माध्यम से मलेशिया से आयातित (सितंबर 2016) सीटीएच '90178090-अन्य उपकरण' के अंतर्गत वर्गीकरणीय 'मापन टेप (स्टील टेप)' के एक परेषण (18250 कि.ग्रा.) की निकासी ₹ 32.15 लाख के एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर (फरवरी 2017) विभाग ने बताया (नवंबर 2017) कि मांग नोटिस जारी कर दिया गया है। अगली प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

3.5.5 उत्पाद विशिष्ट शर्तों के उल्लंघन के आधार पर एडीडी का अनुद्ग्रहण

कुछ मामलों में आयातित वस्तु पर एंटी डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण उत्पाद की विशिष्ट विशेषताओं जैसे मोटाई, भार या रासायनिक संरचना के कारण किया जाता है। संव्यवहारों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि उत्पाद विशिष्ट शर्तों के पूरा होने के बावजूद इन वस्तुओं के आयातों पर शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया गया था।

(i) फ्लोट ग्लास : 2014 से 2017 की अवधि के दौरान जारी विभिन्न एडीडी अधिसूचनाओं[23] के अनुसार 2 एमएम से 12 एमएम की नाममात्र की मोटाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास के आयात और यूएई, साऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और चीन से आयातों पर निर्धारित दरों पर एडीडी उद्ग्रहणीय है। अधिसूचनाओं में निर्धारित है कि सांकेतिक मोटाई का मापन भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) 14900: 2000 के अनुसार किया जाना चाहिए। बीआईएस मानकों के अनुसार सांकेतिक मोटाई को ± 0.20 एमएम से ± 80 एमएम तक सहनीय स्तर की मोटाई के अंदर माना जाता है। अत: 1.80 एमएम से 2.20 एमएम की मोटाई के फ्लोट ग्लास को 2 एमएम मोटाई माना जाएगा।

तीन कमिश्नरियों[24] में लेखापरीक्षा में 1.80 एमएम से 12.80 एमएम की मोटाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास के 42 परेषणों के आयात और विशेष देशों से आयात देखे गए जिनकी निकासी इस आधार पर एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी कि ग्लास की सांकेतिक मोटाई 2 एमएम से 12 एमएम की निर्धारित

---

[23]अधिसूचना संख्या (i) 48/2014 दिनांक 11.12.2014 (ii) 47/2015 दिनांक 8.9.15 और (iii) 19/2017 दिनांक 12.5.17

[24]चेन्नई समुद्र, तूतीकोरिन और कोच्चि सीमा शुल्क

मोटाई से भिन्न थी। इसके परिणामसव्रूप ₹ 2.83 करोड़ के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

दो कमिश्नरियों जेएनसीएच, मुंबई और नोएडा में विभाग ने सऊदी अरब और ईरान से आयातित 4 एमएम से 12 एमएम की मोटाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास के चार परेषणों पर ₹ 20.83 लाख का एडीडी उद्ग्रहीत नहीं किया था जो निर्धारित अधिसूचनाओं के उल्लंघन में है। (एडीडी अधिसूचना सं. 48/2014-एडीडी और 19/2017-एडीडी)।

इस विषय को जून 2018 में विभाग के संज्ञान में लाया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित हैं (मई 2019)।

(ii) जूट की बोरियां: बांग्लादेश[25] से उद्भूत या निर्यातित सभी रूपों और विशेषताओं के जूट उत्पादों नामत: जूट धागा/सुतली, हेसियन फैब्रिक और जूट की थैलियों के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क उद्ग्रहणीय था। पेट्रापोल लैंड कस्टम स्टेशन में विभाग ने जनवरी और जून 2017 के बीच ₹ 83.54 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के लिए बोरियाँ/थैलियाँ बनाने के लिए 12766.7 एमटी जूट फैब्रिक के 416 परेषणों की निकासी एडीडी के उद्ग्रहण के बिना अनुमत की थी जो सीटीएच 53101012 के अंतर्गत "बोरियों हेतु फैब्रिक" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और ₹ 29.79 करोड़ मूल्य के एंटी डंपिंग शुल्क के उद्ग्रहण के बिना बांग्लादेश से आयात की गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर, विभाग इस आधार पर लेखापरीक्षा के तर्क पर सहमत नहीं हुआ कि जनवरी 2017 की उपर्युक्त अधिसूचना में 'जूट सैकिंग कपड़ा' का विशेष उल्लेख नहीं था। अपने अगले उत्तर में (फरवरी 2018) विभाग ने अपने तर्क के समर्थन में जांच रिपोर्ट भेजी थी और बताया कि रिपोर्ट में बताया गया था कि आयातित माल हेसियन कपड़ा था और जूट उत्पाद नहीं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि भारतीय व्यापार क्षेत्र में "हेसियन" का उपयोग जूट के साथ किया जाता है और नामित जांच प्राधिकारी के साथ-साथ भारतीय उद्योग, की मंशा में सभी प्रमुख जूट उत्पादों को शामिल किया

[25]अधिसूचना सं0 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017

गया था जो उत्पाद श्रृखला अर्थात धागा, फैब्रिक और जूट की थैलियों में थे जिन्हें बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। इसके अलावा, एडीडी अधिसूचना में यह कहते हुए 4 अंकों तक ही सीटीएच कोड निर्दिष्ट किए गए है कि विशेष शीर्षक अर्थात 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं को परिभाषा 'सभी रूप और विशेषताए' में कवर किया गया है तदनुसार, निर्धारण अधिकारी द्वारा सीटीएच 53101012 के अंतर्गत वर्गीकृत होने के कारण आयातित वस्तु सैकिंग फैब्रिक पर एडीडी उद्ग्रहणीय होगी।

(iii) **पॉलिआल का लचीला स्लैब स्टॉक** एक पोलीईथर है जो उत्प्रेरक और योजक के साथ प्रतिक्रिया पर पॉलीयुरेथेन बनाता है जिसे पैकेजिंग,तकिए,गद्दे और परिवहन की सीटों में उपयोग किया जाता है। यूरोपीय संघ,ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से उद्भूत 3000 से 4000 तक आणविक भार के पॉलीआल के लचीले स्लैब स्टॉक के आयात पर यूएसडी 67.79 एमटी से 154.94 एमटी तक भिन्न दरों पर एडीडी[26] उद्ग्रहणीय है।

सिंगापुर और स्पेन से आयातित आर्कील पॉलिआल 5613 और वोरानोल ईपी 1900 पॉलिआल के विवरण के अंतर्गत 3000 से 4000 के आणविक भार के पॉलिआल के लचीले स्लैब स्टॉक के चौबीस परेषणों की निकासी दो कमिश्नरियों[27] द्वारा एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी, हालांकि विभाग ने अन्य आयात परेषणों में समान ग्रेड और नामावली की समान वस्तुओं पर एडीडी उद्ग्रहीत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.54 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ था।

इस विषय को जुलाई 2008 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(iv) **विनाइल क्लोराइड के होमो पॉलीमर का उपयोग फलोरिंग**, पैंकेजिंग शीट, बोतलों आदि में होता है। युरोपियन संघ, मैक्सिको और ताइवान से उदभूत और आयतित सीटीएच 3904 के अंतर्गत वर्गीकरणीय विनाइल क्लोराइड मोनोमर के

[26]अधिसूचना सं0 9/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 7 अप्रैल 2015].
[27]जेएनसीएच और मुंद्रा

होमो पॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड) पर यूएसडी 39.65/एमटी से 189.99/एमटी की भिन्न दरों पर एडीडी[28] उद्ग्रहणीय है।

दो कमिश्नरियों[29] में पीवीसी रेजिन नॉरविनिल ग्रेड (सस्पेंशन ग्रेड) लैकोविले पीवीसी ऐसिएल सीटी-1110 मास पीवीसी रेजिन (विनील कलोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमो पॉलिमर का प्रयास) के दो परेषणों की निकासी एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी यद्यपि विभाग ने अन्य आयात परेषणों में समान ग्रेड और नामावली की समान वस्तुओं पर एडीडी लगाया था। उत्पादक की वेबसाइट के साहित्य से पता चला कि ये सभी ग्रेड सस्पेंशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पॉलिविनाइल क्लोसइड होमो पॉलिमर है। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 13.19 लाख के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं हुआ था।

इस विषय को जुलाई 2018 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(v) एस्कॉर्बिक एसिड: चीन से उद्भूत और निर्यातित सीटीएच 29362700 के तहत वर्गीकरणीय **मर्क इंडेक्स**[30] की प्रविष्टि संख्या 867 के तहत यथा निर्दिष्ट विटामिन सी, और विटामिन सी के सामान्यत प्रयुक्त प्रयाय जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, एल-जाइलो एस्कॉर्विक एसिड, 3-ऑक्सो-एलगुलोफ्यूरनोल एक्टोन (एनोल फॉर्म), एल-3-केटो थ्रॉहेस्कयूरोनिक एसिड लैक्टोन आदि के आयात पर यूएसडी 3.74 प्रति कि.ग्रा. की दर पर एडीडी[31] उद्ग्रहणीय है।

सीमा शुल्क समुद्र चेन्नई के माध्यम से चीन से आयातित 'विटामिन सी के पर्याय' सोडियम एस्कॉर्बेट के पांच परेषणों की निकासी ₹ 3.31 करोड़ के एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर विभाग ने तर्क दिया कि सोडियम एस्कॉर्बेट को विटामिन सी के पर्याय के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि मर्क इंडेक्स के अनुसार इन्हे दो भिन्न घटकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

---

[28]अधिसूचना सं.26/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) और 27/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 जून 2014

[29] जेएनसीएचऔरतुतिकोरीन सागर.

[30]मर्क इंडेक्स रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित रसायनों, दवाइयों और जैविक का एक विश्वकोश है।

[31]अधिसूचना सं. 38/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 अगस्त 2015।

विभाग का जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा है कि एडीडी विटामिन सी के अधिकतर प्रयोग होने वाले पर्याय सहित विटामिन सी के सभी पर्याय पर लागू होता है, जैसा कि मर्क इंडेक्स की प्रविष्टि संख्या 867 के तहत वर्णित है, जिसका अर्थ है कि एडीडी विटामिन सी के सभी रूपों के आयात पर उद्ग्राहय हैं। इसके अलावा, सोडियम एस्कॉर्बेट एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी) के खनिज लवणों में से एक है।

सोडियम एस्कॉर्बेट के आयात पर इसी तरह के अनुदग्रहण को 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 (पैरा सं.4.9) में इंगित किया गया था, जिसमें मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार की और मांग नोटिस जारी किया।

नमूना जांच के अतिरिक्त, वर्ष 2016-17[32] में आईसीईसी डेटा के विश्लेषण में प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, कोल्ड रोल्ड सीमलैस पाइप, ग्लास फाइबर, फ्लॉट ग्लास, रबर कैमिकल, कार्बन ब्लैक और अन्य जैसे कई वस्तुओं के आयात पर ₹ 13.18 करोड़ की एडीडी राशि की अनुदग्राही का खुलासा हुआ। इन वस्तुओं को आईसीडी, व्हाइटफील्ड-बैंगलूर, नौएडा कमिश्नरी, कोलकाता (समुद्र), कोलकाता (वायु), कस्टम हाउस (पिपाव) गुजरात, और कस्टम हाउस, हाजिरा-गुजरात **(अनुलग्नक 6)** के माध्यम से आयात किया गया था। यह दिसम्बर 2018 और जनवरी 2019 में सीमा शुल्क कमिश्नरी को इंगित किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

3.5.6 एडीडी की अशुद्ध गणना

(i) चीन गणराज्य/ताइवान से सीटीएच 8477,1000 के तहत आयातित प्लास्टिक प्रसंस्करण या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें "लैंडेड वैल्यू[33]" के 29 प्रतिशत के बराबर एडीडी[34] को आकर्षित करती है। 'लैंडेड वैल्यू' का अर्थ होता है निर्धारणीय कीमत व मूल सीमा शुल्क का योग।

---

[32]एडीडी से संबंधित आईसीईएस डेटा लेखापरीक्षा के समय केवल 2016-17 के लिए उपलब्धता थी।

[33]आयातित 4 दिसम्बर 2015 की अधिसूचना सं. 057/2015-एडीडी और 9/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 15 मार्च 2016

[34]"आयातित माल के मूल्य" का अर्थ सीमा शुल्क अधिनि 1962 के तहत निर्धारित निधार्य मूल्य से होता है और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3,3ए, 8बी और 9ए के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल है।

दो कमीश्नरियों[35] में, विभाग ने 37 परेषणों में लैंडेड वैल्यू के बजाय निर्धारणीय कीमत पर एडीडी की अशुद्ध गणना की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.24 लाख के एडीडी का कम उद्ग्रहण हुआ। 37 परेषणों में से, आईसीडी, तुगलकाबाद, के माध्यम से आयातित 31 परेषणों में प्रणाली द्वारा एडीडी की गणना की और प्रणाली के माध्यम से निकासी की सुविधा भी दी गई थी।

यह जनवरी (अगस्त 2018) में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(ii) जब निर्माता और निर्यातक संयोजन इंडोरामा पेट्रोकेम या टीपीटी पेट्रो केम पब्लिक लिमिटेड द्वारा "शुद्धीकृत टेरिफाथोलिक एसिड" का आयात सीटीएच '29173600' के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो थाईलैण्ड और कोरिया से उत्पन्न और निर्यातित होने पर एडीडी[36] यूएसडी 45.43 प्रति एमटी (पीएमटी) पर और यदि निर्माता और निर्यातक का कोई अन्य संयोजन हो तो यूएसडी 62.55 पीएमटी की दर पर उद्ग्राहय है।

जेएनसीएच के माध्यम से आयात किए गए "फ्यूरिफाइड टेरेफाथोलिक एसिड" की इक्कीस परेषणों को यूएसडी 62.55 पीएमटी के बजाय यूएसडी 45.43 पीएमटी की दर पर एडीडी के रूप में मंजूरी दी गई क्योंकि निर्माता और निर्यातक पूर्वोक्त वर्णित के अलावा अन्य थे। इसके परिणामस्वरूप एडीडी की कम उगाही की राशि ₹ 1.55 करोड़ हो गई।

यह जून/नवम्बर 2017 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका जवाब प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2019)।

3.5.7 अनंतिम निर्धारण के लिए गलत सहारा

सीमा शुल्क मैनुअल अनंतिम निर्धारण के अध्याय 7 के पैरा 3.1 के अनुसार छः महीने के भीतर तेजी से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

(i) सीमा शुल्क अधिनियम,1962 की धारा 15 के परंतुक के तहत, आयातित वस्तुओं के शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर के निर्धारण की तारीख पोर्ट में

[35]आईसीडी, तुगलकाबाद और चेन्नई समुद्र कमिश्नरी
[36]अधिसूचना सं. 23/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 मई 2015

प्रवेश की तारीख है, भले ही पोर्ट में प्रवेश की तारीख से पहले प्रवेश का बिल दायर किया गया है।

जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम से एक आयातक ने चीन से प्यूरिफाइड टैरिफ्थैलिक एसिड की दो परेषणों का आयात करता है। प्रविष्टि के दो अग्रिम बिल 4 जुलाई 2016 को भरे गए थे जबकि पोत के प्रवेश की तारीख 5 जुलाई 2016 थी। सीटीएच 29173500 के तहत वर्गीकृत प्यूरिफाइड टैरिफ्थैलिक एसिड का आयात 5 जुलाई 2016 से एडीडी[37] के लिए निर्धारित दर यूएसडी 97.60 प्रति एमटी है, यदि मूल और निर्यातक देश चीन है।

दोनों परेषणों का अनौपचारिक रूप में निर्धारण किया गया था और उन्हें एडीडी की उगाही के बिना और विभागीय टिप्पणियों के साथ ''एडीडी की प्रयोज्यता के स्पष्टीकरण तक'' के बिना मंजूरी दे दी गई थी।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, पोत के प्रवेश की तारीख (अर्थात 5 जुलाई 2016) को बीई की प्रस्तुतिकरण की तारीख के रूप में माना जाता है, इन परेषणों पर लागू एडीडी लगाए बिना अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया था चूंकि पोत के प्रवेश की तारीख 5 जुलाई 2016 थी और अधिसूचना सं. 28/2016 को 5 जुलाई 2016 से जारी की गई थी, इसलिए एडीडी की उगाही करना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप अनंतिम निर्धारण में ₹ 1.34 करोड़ के एडीडी को स्थागित कर दिया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में देखा कि छः महीने से अधिक समय की समाप्ति के बावजूद अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है (अक्टूबर 2018)।

इस पर विभाग ने कहा कि मामले को एडीडी के भुगतान के लिए आयातक के साथ उठाया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019) **(अनुलग्नक 7, क्रम सं.1)**

(ii) सीटीएच 3904 के तहत वर्गीकृत विनाईल क्लोराइड मोनोमर (संस्पेंशन ग्रेड) का आयात निर्धारित दर पर एडीडी[38] आकर्षित करता हैं, यदि मूल और निर्यात का देश इंडोनेशिया है, मैसर्स 'अ' इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जेएनसीएच (बीई सं.

---

[37]अधिसूचना सं. 28/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), सं. 2 दिनांक 5 जुलाई 2016

[38]अधिसूचना सं. 27/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 जून 2014,क्र.सं. 29

6571736 और 6622177 क्रमश: दिनांक 1 और सितम्बर 2016) से आयातिक पीवीसी रेजिन ग्रेड एफजे-65 के दो परेषणों को लंबित परीक्षण रिपोर्ट के कारण अनंतिम निर्धारण किया गया था और ₹ 48.15 लाख की एडीडी की उगाही बिना निकासी कर दी गई थी। इन निर्धारणों को 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अंतिम रूप दिया जाना लंबित था।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम में अन्य आयातकों द्वारा समान आयात प्रासंगिक अवधि के दौरान एडीडी के अधीन आयात किए गए थे।

छ: महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अनंतिम निर्धारणों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारणों और जुलाई 2018 में विभाग से परीक्षण रिपोर्ट की स्थिति मांगी गई थी; उनका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019) **(अनुलग्नक 7,क्रम सं.2)**।

3.6 निष्कर्ष

इस अध्याय के निष्कर्ष क्षेत्र में की गई सीमित लेखापरीक्षाओं पर आधारित थे। हालांकि, इस सीमित लेखापरीक्षा में भी मुद्दों के पहलुओं की प्रणालीगत कमियों को चिन्हित किया है जिन्हें विभाग द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। परीक्षण जांच में उगाही से बचने और एन्टी-डंपिंग की शर्तों का अनुपालन न करने के कई उदाहरणों का पता चला जिसके परिणामस्वरूप ₹ 86.69 करोड़ रूपये की राशि का एंटी-डंपिंग शुल्क का गैर/कम उगाही की गई। विभाग ने ₹ 53 करोड़ की राशि की आपत्ति स्वीकार की और ₹ 1.20 करोड़ की वसूली की सूचना दी। परीक्षण जांच पद्धति की स्पष्ट सीमा के कारण, इस अध्याय में वर्णित मामले उदाहरणात्मक है। विभाग को सलाह दी जाती है कि वह इसी प्रकार के आयातों की समीक्षा करे जो एडीडी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुपालन अनुसार एडीडी को आकर्षित करते है।

राजस्व विभाग उन सभी मामलों में अपनाई जा रही निर्धारण प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है, जहां लेखापरीक्षा की नमूना जांच में निर्धारण प्रक्रियाओं में कमी का उल्लेख किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कम या गैर-उगाही होती है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली में प्रणालीगत कमियां को दर्शाया है। जिसमें उत्पादक/निर्माता के नाम की घोषणा, जो उगाही लागू करने की एक अनिवार्य शर्ते हैं, को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इस कमी को दूर किया जा सकता है।